न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –167 / 2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023 / 194

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1. प्रेमाराम पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. रामलाल पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. रूकमा पुत्री चतराराम पत्नी नरसीराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर
4. किसनी देवी पुत्री चतराराम पत्नी देवाराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर
5. रेवन्ती पुत्री चतराराम पत्नी भजनाराम जाति खाती निवासी घटु तहसील व जिला बीकानेर
6. मनोहरी देवी पुत्री चतराराम पत्नी सोहनलाल जाति खाती निवासी जोरावरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलांट्स सं. 2 से 6 जरिए आम मुख्त्यार अपीलांट सं. 1 प्रेमाराम पुत्र चतराराम जाति खाती निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

1. अखाराम पुत्र दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
2. अनीदेवी पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
3. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम जाति खाती
4. किसनाराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
5. कोजाराम पुत्र देराजराम जाति खाती
6. कोजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती (नाम हटाया दिनांक 22.05.2024)
7. गुड्डी पुत्री गंगाराम जाति खाती
8. गुमानी पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
9. गीता पत्नी गंगाराम जाति खाती
10. गोपीराम पुत्र लादुराम जाति खाती (नाम हटाया दिनांक 22.05.2024)
11. गोपीराम पुत्र देराज जाति खाती
12. चेनाराम पुत्र दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
13. चेनाराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
14. जगदीश पुत्र गंगाराम जाति खाती
15. दुर्गा पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
16. पप्पू पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
17. प्रेमचन्द्र पुत्र गंगाराम जाति खाती
18. भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति खाती
19. भंवरी पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
20. रामुराम पुत्र लादुराम जाति खाती (नाम हटाया दिनांक 22.05.2024)
21. रामुराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
22. कमला देवी पत्नी रामुराम जाति खाती
23. जगदीश पुत्र रामुराम जाति खाती
24. डालाराम पुत्र रामुराम जातिं खाती
25. पप्पूराम पुत्र रामुराम जाति खाती
26. भींयाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
27. रूपाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
28. रिछपाल पुत्र रामुराम जाति खाती

कलक्टर नागौर

नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमला देवी जाति खाती
29. लिखमाराम पुत्र रामुराम जाति खाती
30. सीमा पुत्री रामुराम जाति खाती नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता कमला देवी जाति खाती
31. लिछमा पुत्री गंगाराम जाति खाती
32. शंकरलाल पुत्र दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
33. श्रवणराम पुत्र गंगाराम जाति खाती
34. सुखाराम पुत्र दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
35. सुन्दरलाल पुत्र दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
36. समा पुत्री दानाराम उर्फ आईदानराम जाति खाती
37. हरिराम पुत्र गंगाराम जाति खाती सभी निवासीगण ग्राम सुरजाना तहसील व जिला नागौर
38. तहसीलदार जी, नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास एंव श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5,7 से 9,11 से 19,25,27 से 37 की ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल।

निर्णय **दिनांक :– 26.11.2024**

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके ग्राम फतेहसर का म्यूटेशन संख्या 19 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.09.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 22.05.2024 को प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6,10 व 20 का नाम प्रस्तुत प्रकरण से हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटन के नाना लादूराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 1098 रकबा 2.2662 हैक्टेयर व खसरा नं. 1099 रकबा 2.4200 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहसर तहसील व जिला नागौर स्थित हैं। स्व0 लादूराम जी के एक पुत्री अपीलांट की माता ही थी। लादूराम जी का देहान्त होने के बाद उनका फौतगी नामान्तरण संख्या 19 दिनांक 22.05.1992 को तहसीलदार जी द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें अपीलांट्स की माता का नाम दर्ज नहीं किया

कलक्टर नागौर

गया हैं। इसलिए यह नामान्तरण शुरू से ही विधि विरूद्ध था,इसलिए इस प्रकार के नामान्तरण में पारित किये गये आदेश की अपील में मयाद का बिन्दू नहीं बनता हैं। इस नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 28.07.2023 को राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर हुई हैं तथा जानकारी से यह अपील मयाद में पेश की गई हैं,जो अन्दर मयाद हैं। अतः अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का कथन हैं कि नामान्तरण दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत हुआ हैं,जबकि अपील दिनांक 29.09.2023 को पेश की गई हैं। अपील विलम्ब से पेश करने के पर्याप्त कारण प्रार्थना–पत्र में नहीं दर्शाये गये हैं। इसलिए अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र व बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में कानूनी बिन्दू निहित होने से अपीलांट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

मूल अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट्स के नाना लादूराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 1098 रकबा 2.2662 हैक्टेयर व खसरा नं. 1099 रकबा 2.4200 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहसर,तहसील व जिला नागौर में स्थित है। अपीलांट्स के नाना लादूराम का देहांत हो चुका है। किन्तु अपीलांट्स के नाना लादूराम के देहांत के पश्चात जब उनका फौतगी नामान्तरण स्वीकृत किया गया, तब उस फौतगी नामान्तरण में अपीलांट्स की माता जो कि लादूराम जी की जायंदा पुत्री थी उनका नाम दर्ज नहीं कर लादूराम के भाई देराजराम के वारिसान को लादूराम के वारिस बताकर नामान्तकरण जैर अपील अवैध एवं विधि विरूद्ध ढंग से तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.05.1992 को स्वीकृत आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध तथा मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि स्व. लादूराम जी के एकमात्र जायंदा पुत्री मोहनीदेवी थी एवं मोहनीदेवी के जायंदा वारिसान सभी अपीलांट्स है। इस प्रकार लादूराम जी के देहांत के पश्चात् उनका फौतगी नामान्तरण में लादूराम की पत्नी मिरधां व एकमात्र पुत्री मोहनी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु हल्का पटवारी व आर.आई. ने मजमेआम में पूछताछ कर लादूराम के वारिसान रामूराम, गोपीराम, कोजाराम व मिरधां को बताकर नामान्तरण जैर अपील स्वीकृत करवा दिया, जबकि यह सभी वारिसान लादूराम के सगे भाई देराजराम के वारिस थे। जो अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से भी स्पष्ट है। इसलिए आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस में यह भी कथन था कि नामान्तरण जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स की माता मोहनीदेवी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई एवं देराजराम के वारिसान ने अपीलांट्स के हक हिस्से की भूमि को हड़प करने की नियत से अपने आपको लादूराम के वारिसान बताकर अपीलांट्स के हक हिस्से की भूमि अपने नाम करवा ली एवं हल्का पटवारी व भू0अभिलेख निरीक्षक ने भी उनसे मिली भगत कर उनके नाम नामान्तरण स्वीकृत करवा दिया। अपीलांट्स की माता मोहनीदेवी जो कि लादूराम जी की एकमात्र जायंदा पुत्री थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व.

कलक्टर नागौर

लादूराम जी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपीलांट की माता मोहनीदेवी का नाम फौतगी नामान्तरण में लादूराम जी के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट्स की माता मोहनी का देहांत हो चुका है। इस कारण अब स्व. लादूराम जी के हक हिस्से की भूमि के एक मात्र अधिकारी अपीलांट्स ही हैं।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 19 स्वीकृति आदेश दिनांक 22/05/1992 को निरस्त किया जावें तथा स्व. लादूराम पुत्र जालाराम के स्थान पर अपीलांट्स के नाम नामान्तरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का बहस के समय कथन हैं कि तहसीलदार,नागौर द्वारा नामान्तरण संख्या 19 में स्वीकृति आदेश दिनांक 22.05.1992 मजमे आम में सुनवाई कर पारित किया गया हैं। इस स्वीकृति आदेश की मोहनीदेवी को पूरी जानकारी थी,इसलिए उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी इस आदेश को चुनौती नहीं दी हैं। अब अपीलांट्स की नियत खराब हो गयी हैं एवं वह रेस्पोडेन्टान की भूमि हड़प करना चाहते हैं। इसलिए अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण नकल संख्या 19 एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त असल नामान्तरण के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1098 व 1099 लादूराम पिता जालाराम की सहखातेदार के खेत रहे हैं। प्रस्तुत नामान्तरण नकल नामा0संख्या 148 के अनुसार एवं ग्राम पंचायत,सथेरण के उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति अनुसार लादूराम पुत्र जालूराम की जायन्दा पुत्री मोहनी देवी थी। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट भी इन्कार नहीं करते हैं। इस प्रकार जब लादूराम की मृत्यु हुई एवं उनका फौतगी नामान्तरण प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में दर्ज किया गया उस समय उनकी पुत्री का नाम भी संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना था परन्तु नामान्तरण संख्या 19 में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया हैं। तथा स्व0 लादूराम के जायन्दा पुत्र, रामूराम,कोजाराम,गोपीराम नहीं होते हुवे भी इस नामान्तरण में उनको लादूराम के जायन्दा पुत्र बताते हुए यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं,जो विधि विरूद्ध हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम फतेहसर के नामान्तरण संख्या 19 में तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1992 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार,नागौर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि स्व0 लादूराम के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर प्रभावित पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुवे नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरण में आदेश पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड पुनः लौटाया जावें तथा निर्णय की प्रति तहसीलदार,नागौर पालना हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर